बाल श्रम और श्रमजीवी महिलाओं के कल्याण हेतु सहायता अनुदान

मंत्रालय

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

के बारे में

सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत एनसीएलपी योजना के दायरे न आने वाने जिलों में बाल श्रम उन्मूलन के लिए गैर सरकारी संगठनों को धन सीधे मंजूर किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत श्रमजीवी महिलाओं के कल्याण हेतु कार्योन्मुखी परियोजनाए चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठन / गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

लाभ

बाल श्रम और श्रमजीवी महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से कार्योन्मुखी परियोजनाएं चलाने हेतु स्वीकृत बजट के रूप में परियोजना के आवर्ती लागत का 75% सहायता की राशि श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

पात्रता

- कोई सोसाइटी, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो, या
- किसी कानून के अधीन पंजीकृत कोई सार्वजनिक ट्रस्ट, जो तत्समय प्रवृत्त हो, या
- कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन, अथवा
- कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कोई लाइसेंसधारी कोई धर्मार्थ कंपनी, या
- विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान।

आवेदन कैसे करें

बाल श्रम या श्रमजीवी महिलाओं के कल्याण हेतु परियोजनाएं हाथ में लेने हेतु इच्छुक संगठन केंद्रीय सहायता पाने हेतु अपने आवेदन (फॉर्म ।) संबंधित राज्य सरकार, (श्रम विभाग) को भेजें। उन संगठनों के अनुभव, उनकी वित्तीय स्थिति, उपयुक्तता, उन परियोजनाओं की व्यवहार्यता तथा प्रयोज्यता के बारे में राज्य सरकार अपने विचार और टिप्पणी श्रम मंत्रालय के पास भेजेगा, जिसे प्राप्त होने के बाद श्रम मंत्रालय उस प्रस्ताव पर विचार करेगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें: http://labour.gov.in/sites/default/files/Grant-In-Aid.pdf or http://labour.gov.in/schemes/grant-aid-child-labour-and-women-labour